संख्या–क0नि0–5–3117/11–2000–500(145)/99

प्रेशक,

टी,जार्ज जोसेफ,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त उप/सहायक, महानिरीक्षक निबन्धन,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः जुलाई 27, 2000

विषयः भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प वादों के उचित रूप से सृजन एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः (1) उ0प्र0 स्टाम्प नियमावली, 1942 के नियम 214 तथा 332
(2) सं0–एस0आर0–1083/दस–500(90)/79 दिनांक 07.04.1979
(3) सं0–एस0आर0–5289/10–500(99)/79 दिनांक 31.03.1980
(4) सं0–एस0आर0–4321/11–90 दिनांक 12.11.1990
(5) सं0–क0स0नि0–5–80/11–98– दिनांक 12.01.1998
(6) सं0–क0स0नि0–5–67(1)/11–98–500(10)/98 दि0 30.01.1999
(7) सं0–क0नि0–5–712/11–3000–500(145)/99 दि0 04.02.2000
(8) सं0–क0नि0–5–464/11–2000–312(58)/93 दि0 11.02.2000

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय तथा उपरिलिखित नियमों, अधिसूचनाओं व शासनादेषों का संदर्भ ग्रहण करें। इन संदर्भो के माध्यम से शासन ने समय–समय पर किसी विलेख पर स्टाम्प की कमी पाये जाने की दशा में किस प्रकार से कार्यवाही की जाय, इसके बारे में दिशानिर्देश दिये है। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है एवं विभिन्न जनपदों से इस बारे में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायते मिल रही हैं। कानपुर नगर, बुलन्दशहर, बदायुं, मेरठ, गाजियाबाद आदि जनपदों में इस प्रकार की अनियमितताओं के आधार पर कतिपय अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही भी प्रारम्भ करनी पड़ी है। इन्हे देखते हुए शासन द्वारा एक बार पुनः स्टाम्प वादों से सम्बन्धित कार्यवाही के विषय में निम्न निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

(1) प्रायः यह पाया गया है कि स्टाम्प की कमी का बिना कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य तथा कारण पाये, उप निबन्धकों ने विलेख की रजिस्ट्री स्थगित करके स्टाम्प वाद हेतु उसका संदर्भण कर दिया। यह पक्षकारों का उत्पीड़न करने वाली बात है। किसी भी उप निबन्धक द्वारा किसी

विलेख की रजिस्ट्री तब तक स्थगित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि उसमें कमी स्टाम्प पाये जाने के कारण व साक्ष्य न मौजूद हों। यदि बिना विश्वास के कारण को उल्लेख किये कोई विलेख किसी कलेक्टर को संदर्भित किया गया हो, तो ऐसे विलेख को तत्काल सम्बन्धित उप निबन्धक को यह कहते हुए वापस लौटा देना चाहए कि उप निबन्धक या तो संदर्भण के समुचित कारण बतायें या उसकी रजिस्ट्री करने के सम्बन्ध में पुनः विचार करें।

(2) कतिपय जनपदों में यह साक्ष्य सामने आये है कि रजिस्ट्री के पश्चात कुछ बैनामों को बिना कोई कारण बताये स्वंय अपर जिलाधिकारी द्वारा संदर्भित करने के निर्देश उप निबन्धकों को दिये गये और इन निर्देशों के आधार पर संबंधित उप निबन्धकों ने बिना कोई स्टाम्प कमी का आधार इंगित किये ऐसे विलेख संदर्भित कर दिये । नियमों के अन्तर्गत किसी अपर जिलाधिकारी अथवा कलेक्टर को ऐसा करने का कोई अधिकार नही प्राप्त है। धारा–47–क(3) के अन्तर्गत भी कोई कलेक्टर किसी विलेख पर स्वयं तब तक कार्यवाही नहीं कर सकता है, जब तक कि उसके पास इस बात की समुचित सूचना न हो कि ऐसे विलेखों पर कमी स्टाम्प हो सकती है। शासन की दृष्टि में कदाशयतापूर्ण मानी जायेगी। इन सम्बन्ध में कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने वाले समस्त अधिकारियों को बिना कारण विलेखों को संदर्भण करने के निर्देश न जारी करने के आदेश दिये जाते है।

(3) नियमों के अन्तर्गत वर्तमान व्यवस्था मे रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी किसी भी कलेक्टर को विलेखों का संदर्भण कर सकते है। इस व्यवस्था के कारण कई जनपदों में यह स्थिति उत्पन्न हुई है कि किस कलेक्टर को कौन सा विलेख संदर्भित है, वह पता लगाना मुश्किल हो गया है और साथ ही कुछ मामलों में एक ही विलेख अलग–अलग दो कलेक्टरों के पास संदर्भित हो गया है तथा एक ही विलेख पर एक से अधिक स्टाम्प वाद कायम हो गये है। इस समस्या से निपटने के लिए शासन ने यह निर्देश दिये हैं कि सभी उप निबन्धक विलेखों को संदर्भित करते समय उन्हें सीधे मात्र अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को ही भेजेंगे तथा ऐसे संदर्भण पर अपर जिलाधिकारी पहले इन विलेखों को केन्द्रीय मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज करायेंगे और स्टाम्प वाद की संख्या चढ़वाने के पश्चात ही उनको निर्णय के लिए किसी भी कलेक्टर के न्यायालय को अग्रसारित करेंगे। इससे किसी भी जनपद में स्थापित होने वाले सभी स्टाम्पवादों की सम्मिलित सूची तैयार रहेगी एवं उनके निस्तारण की समीक्षा सहज रूप से हो सकेगी। साथ ही स्टाम्प वादों का दोहरापन भी खत्म हो सकेगा। यदि किसी भी जनपद में केन्द्रीय मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज कराये बिना कोई स्टाम्पवाद किसी भी कलेक्टर द्वारा ग्रहण किया जायेगा या सुनवाई की जायेगी, तो इसे अनियमित एवं कदाशयतापूर्ण कार्यवाही मानते हुए ऐसे अधिकारी के विरूद्व शासन द्वारा प्रतिकूल कार्यवाही की जायेगी।

(4) स्टाम्पवादों की मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज कराकर उनकी सुनवाई के लिए कलेक्टरों के न्यायालयों को आवंटित करते समय जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा यह बात ध्यान में रखी जायेगी कि स्टाम्प वादों के शीघ्र निस्तारण को सुनिश्चित करने के लिए सभी अधिकारियों को उचित अनुपात में मामले अग्रसारित किये जाय। कलेक्टर की शक्ति का उपयोग करने वाले किसी उप जिलाधिकारी को स्टाम्प वाद सुनवाई के लिए भेजते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि किसी भी उप जिलाधिकारी को उनके कार्यक्षेत्र के भीतर स्थित अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित स्टाम्प वाद ही आवंटित किये जाये।

(5) शासन द्वारा शासनादेष संख्या–क0नि0–5–2445 /11–2000–500 (45) / 2000 दिनांक 05.05.2000 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को प्रत्येक माह के अंत तक विभिन्न कलेक्टरों द्वारा स्टाम्प वादों के निस्तारण के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की समीक्षा करने के निर्देश दिये गये हैं। जिलाधिकारियों से इन बैठकों का विवरण महीने के अंत तक अपर सचिव एवं स्टाम्प आयुक्त, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश को भेजने का भी अनुरोध किया गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार की समीक्षा बैठक कराने तथा सूचना तैयार करके मासिक आख्या स्टाम्प आयुक्त को भेजने की जिम्मेदारी अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की है। इसके लिए आवश्यक है कि कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने वाले समस्त अधिकारी महीने के प्रारम्भ में लम्बित स्टाम्प वाद, माह में दायर स्टाम्प वाद, माह में निस्तारित स्टाम्प वाद, महीने के अंत में अवशेष बचे स्टाम्प वाद, महीने में आरोपित कमी स्टाम्प, पूर्व के महीनों में कमी स्टाम्प में से महीने में की गई वसूली, इसी महीने में आरोपित कमी स्टाम्प की वसूली कुल वसूली, कुल बाकी वसूलने योग्य राशि आदि की सूचना तैयार कराएं एवं अगले महीने की पांच तारीख तक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के माध्यम से जिलाधिकारी को उपलब्ध करा दें। इस सूचना के आधार पर जिलाधिकारी को समीक्षा बैठक करनी चाहिए एवं बैठक के पश्चात् अपनी मासिक रिपोर्ट स्टाम्प आयुक्त को भेजनी चाहिए।

(6) किसी भी स्टाम्प वाद की सुनवाई के समय कलेक्टर द्वारा आवश्यकतानुसार सम्पत्ति का निरीक्षण कराया जा सकता ह। जनपदों से प्राप्त विभिन्न मामलों का अध्ययन करने से पता चलता है कि कुछ कलेक्टरों को यह शंका है कि वे तथ्यों की पुष्टि के लिए स्थल निरीक्षण कर सकते है या नहीं। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि कलेक्टर की शक्ति का उपयोग करने वाला कोई भी पीठासीन अधिकारी यदि चाहे तो तथ्यों की पुष्टि करने के लिए वह स्वयं स्थल निरीक्षण कर सकता है, तथा नक्शा नजरी एवं स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर वह अपना निर्णय ले सकता है।

(7) प्रायः यह देखा गया है कि नोटिस तामील न होने के कारण स्टाम्प वाद की सुनवाई के समय पक्षकार हाजिर नहीं होते है और पीठासीन अधिकारी एकपक्षीय निर्णल ले लेते है, तत्पश्चात पक्षकार द्वारा पुनः अनुरोध किये जाने पर वे वाद को पुनः स्थापित करके पूर्व में लिये गये निर्णय को बदल देते है। इस प्रकार की कार्यवाही करते समय प्रायः दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 में निहित प्रक्रिया का पालन भी नहीं किया जाता है। नोटिस की तामीली दीवानी प्रक्रिया संहिता अथवा उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के नियम–9 में उल्लिखित तरीकों से करने पर इस प्रकार की नौबत नहीं आयेगी और किसी वाद को पुर्नस्थापित करना हो, तो भी दीवानी प्रक्रिया संहिता की प्रक्रिया को अपनाते हुए ही ऐसा करना चाहिए। जो पीठासीन अधिकारी इसके विपरीत वादों को बार–बार पुर्नस्थापित करेंगे और अपने निर्णय को बदलते हुए पाई गई कमी स्टाम्प को पुर्नस्थापित करेंगे, उनके कृत्य को कदाशयतापूर्ण मानते हुए उनके विरूद्व शासन द्वारा प्रतिकूल कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(8) शासन द्वारा विभिन्न मामलो मे यह अनुभव किया गया है कि कलेक्टर की शक्ति का उपयोग करने वाले अधिकारीगण प्रायः शासन के निर्देशों को गम्भीरतापूर्वक नहीं लेते है, क्योकि वे समझते है कि अर्द्व न्यायिक शक्तियों का उपयोग करने के कारण वे ''येन केन प्रकारेण'' अपनी कदाशयतापूर्ण कार्यवाही को भी उचित बताकर बच सकेंगे। शासन यह स्पष्ट करना

चाहता है कि यह गलत धारणा है। मा0 उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम ए0एन0सक्सेना, 1992(4) एस0एल0आर0, भारत संघ बनाम श्री के0के0 धवन जे0टी0 1993(1)एस0सी0–236 आदि में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि किसी भी अर्द्ध न्यायिक शक्तियों का उपयोग करने वाले पीठासीन अधिकारी के विरूद्व निम्न दशाओं में अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती हैः–

(क) जब अधिकारी ने सत्यनिष्ठा, उत्तम विश्वास अथवा कार्य के प्रति सम्प्रेक्षा की भावना के प्रतिकूल कार्य किया हो।

(ख) जब प्रथमदृष्टया यह तथ्य उपलब्ध हो कि अधिकारी ने अपने कार्य के निर्वहन में निरंकुशता एवं कदाचार प्रदर्शित किया हैः–

(ग) जब कोई अधिकारी ऐसे रूप में कार्य करें, जो किसी सरकारी सेवक के लिए उचित न हों।

(घ) जब किसी अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते समय कोई अधिकारी प्राविधानित शर्तो का लापरवाही–वश या अन्य प्रकार से अनुपालन न करायें।

(ड) जब अधिकारी किसी पक्षकार को गलत फायदा पहुॅचाने की नियति से कार्य करें।

(च) जब अधिकारी किसी भ्रष्ट इरादे से कार्य करें, भले ही घूस बहुत कम हो।

(छ) इस प्रकार शासन समस्त अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वे अधिनियम एवं शक्तियों का उपयोग करते समय उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए ही अपना कार्य–निर्वहन करेंगे।

2– कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0अस्पष्ट
(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–3117/11–2000–500(145)/99 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. स्टाम्प आयुक्त एवं अपर सचिव, राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी0जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।